निवेश बढ़ाने के लिए पर्यटन नीति में होगा बदलाव

आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए मिलेगा प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये अनुदान

मनोज त्रिपाठी • जागरण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के लिए पर्यटन विभाग ने निवेशकों से सुझाव मांगे हैं। विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व उत्तराखंड की पर्यटन नीतियों का अध्ययन कर नीति में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें अनुदान के लिए पर्यटन इकाइयों के हवाई अड्डों से 20 किलोमीटर के दायरे में होने की अनिवार्यता को समाप्त करने के साथ ही जीएसटी पंजीकरण को अनिवार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के पर्यटन उद्योग में 37,500 करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य को लेकर सरकार ने वर्ष 2022 में नई पर्यटन नीति लागू की थी। दो वर्ष गुजरने के बाद भी पर्यटन के क्षेत्र में उम्मीद के अनुसार निवेश नहीं हो रहा है। विभाग ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-4.0 के लिए करीब 33,000 करोड़ रुपये के निवेश के 1192 प्रस्ताव तैयार किए थे। इनमें से ज्यादातर प्रस्तावों में होटल, रिसार्ट व साहसिक खेलों में ही निवेशकों ने निवेश की सहमति दी है।

पर्यटन नीति में संशोधन के लिए तैयार प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के 42 जिलों में पर्यटकों के लिए आवासीय कक्षों की व्यवस्था के लिए निवेशकों को जीएसटी की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। इनमें अंबेडकर नगर, अमरोहा, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बदायूं, बस्ती, बहराइच, बागपत, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, देवरिया, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, गाजीपुर, हाथरस, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कुशीनगर, कन्नौज, कौशांबी, कासगंज, ललितपुर, महोबा, मऊ, महराजगंज, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, शामली, संभल, सुलतानपुर, सीतापुर, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर व श्रावस्ती जिले शामिल हैं। 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर मिलने वाले 10 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान को कम करके पांच प्रतिशत किया जा रहा है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर फिल्मों की शूटिंग करने पर पर्यटन विभाग में भी अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकेगा। वर्तमान में संचालित होटल, रिसार्ट व अन्य पर्यटन इकाइयों को हमेशा के लिए यूनीक पंजीकरण क्रमांक जारी किया जाएगा। प्रदेश में यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में शोध करने के लिए एक वर्ष में पांच के स्थान पर 15 शोध करने की नीति भी बनाई जा रही है। मान्यताप्राप्त संस्थान से होटल एवं आतिथ्य के क्षेत्र में कौशल विकास की पढ़ाई करने पर प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। होटल एवं रिसार्ट के स्टार वर्गीकरण, साहसिक खेलों तथा वाटर स्पोर्टस को भी नीति में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। विभाग को अब तक निवेशकों से 14 सुझाव मिल चुके हैं।

42 जिलों में निवेश पर मिलेगी 50 प्रतिशत जीएसटी की प्रतिपूर्ति

- विभाग ने निवेशकों से नीति में बदलाव के लिए मांगे सुझाव

बलरामपुर में होगा ईको-पर्यटन सुविधाओं का विकास

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: बलरामपुर में ईको-पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने पर्यटन विकास को लेकर चल रही योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को पर्यटन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की गति तेज करने व कार्यदायी संस्थाओं की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास में अयोध्या के माडल को अपनाएं। अयोध्या की तर्ज पर पानी की निकासी, सीवर, बिजली सहित अन्य कार्यों को किया जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा और वाराणसी के पर्यटन विकास के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसकी भव्यता न प्रभावित हो। उन्होंने भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं या रुकावटों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने पर्यटन स्थलों के विकास के संबंध में जनप्रतिनिधियों की राय लेकर सभी मंडलों के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महाकुंभ-2025 से संबंधित कार्यों की समीक्षा भी की।

जयवीर सिंह (फाइल फोटो)

- पर्यटन मंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
- धार्मिक पर्यटन के लिए अयोध्या माडल को अपनाएगा विभाग